न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1424—चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 30—7—2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 443/अपील/2007—08.

1. श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व0 श्री दीनानाथ ब्रा.
2. अजयलाल
3. गणेश प्रसाद
4. संजय कुमार
5. सुभाषचन्द्र सभी पुत्रगण स्व0 श्री दीननाथ ब्रा.
सभी निवासीगण ग्राम मालातर, तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. लक्ष्मण प्रसाद
2. अखिलेश्वर प्रसाद पुत्रगण स्व0 श्री दीनानाथ ब्रा.
सभी निवासी ग्राम मालातर, तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कमलेश्वर तिवारी, अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05/6/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 30—7—2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में विवादित भूमियों के बटवारा नामांतरण बावत आवेदन पत्र संहिता

की धारा 178 के तहत प्रस्तुत किया गया जो विचार न्यायालय ने आदेश दिनांक 22—8—07 के अनुसार स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गऊगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 31—12—07 के द्वारा निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30—7—08 के द्वारा अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत बटवारा किया गया। नियमों का पालन कर किये गये बटवारे को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में उन्हीं बिन्दुओं को उठाया है जिनका निराकरण दोनों अपीलीय न्यायालय आदेश पारित कर किया जा चुका है। अब पुनः इस न्यायालय में उन्हीं बिन्दु को उठाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को चुनौती देना न्यायिक एवं वैधानिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर